

मध्यप्रदेश शासन
सावधान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 379 / सी०आर० 309/1(3)/ 72 भोपाल, दिनांक 30 जून, 72
प्रति,

शासन के सभस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व बंडल, म०प्र० ग्वालियर,
सभस्त आयुक्त,
सभस्त निभन्नाध्यक्ष,
सभस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आवरण) नियम, 1965 में संशोधन ।

इस विभाग की अधिसूचना क्र० 370/सी०आर० 309/1(3)/72
दिनांक 29 जून, 1972, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आवरण) नियम,
1965 के नियम 14 में संशोधन किया गया है, की एक प्रति सर्व संबंधित शासकीय
सेवकों के मार्गदर्शन के लिए भेजी जा रही है ।

✓
1/6/72
(यू० वि० मर्दे 20/6/72)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
सावधान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 380 / सी०आर० 309/1(3) भोपाल, 30 तारीख, 1972
प्रतिलिपि :-

- 1- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 2- राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल
- 3- अवर सचिव(स्थाना)/अवर सचिव(अधीक्षण)/ सेवा अधिकारी, मध्यप्रदेश
सचिवालय, भोपाल

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश को उनके पत्र क्र० 5251/
प्रा० जा० 36/67 वि आ स्था दिनांक 27 मई, 1970 के संदर्भ में सूचनार्थ
अप्रेषित ।

के० एल० मर्जी

(के० एल० मर्जी)
अवर सचिव,

8/6/72
: /संभवार*
30/6/72